वस्त्र समिति

पी. बालु रोड, प्रभादेवी, मुंबई-400025
टेलीफोन:022+6652 7510, 6652 7521, फैक्स: 022+6652 7509, 6652 7561
ई-मेल: secy@giasbm01.vsnl.net.in, tciso@vsnl.com
वेब साइट:http://www.textilescommittee.gov.in

101(4)/2006-एचएलएम-प्रशा. 13 फरवरी, 2007

परिपत्र

यह हैण्डलूम मार्क योजना के बारे में है। छह माह में इस योजना ने पंजीकरण और लेबलों की खपत के रुप में अच्छा कार्य निष्पादन दर्शाया है। इस अवधि के दौरान, लेबल का मूल्य कम करने के लिए हैण्डलूम उद्योग से लगातार अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। लेबलों के युनिक कोड नंबर के जरिये तलाश करने के महत्व को ध्यान में रखते हुये वस्त्र समिति (कार्यान्वयन एजेन्सी) ने लेबलों की आपूर्ति को पूरा करने के लिए अधिक संसाधनों को जुटाने का अतिरिक्त प्रयास किया है। इस अपूर्व आवश्यकता के कारण वर्तमान लेबल विनिर्माता उपलब्ध संसाधनों के साथ लेबलों का विनिर्माण मूल्य घटाने में सक्षम नहीं थे। जबकि कुछ लेबल विनिर्माताओं ने लेबलों का विकास करने में रुचि दर्शायी है। उन्होंने स्वयं अनुसंधान एवं विकास कर इन लेबलों के लागत प्रभावी उत्पादन के लिए पर्यायी विनिर्माण प्रक्रिया का विकास करने में सफलता प्राप्त की है।

2. यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि हैण्डलूम मार्क के लेबलों का प्रचार और बिक्री प्रत्येक रुपये 1.25 के मूल्य पर की गयी थी। पहले चरण में, तीन माह के भीतर 32% मूल्य घटा था और प्रत्येक लेबल केवल 85 पैसे के मूल्य पर उपलब्ध हुआ था। इस विकास को ध्यान में रखते हुये, अब लेबलों का मूल्य और 25% तक घटाना संभव हुआ है और प्रत्येक 60 पैसे के मूल्य पर अब इसे उपलब्ध किया जायेगा। संक्षेप में, योजना के आरंभ से लेबलों के मूल्य में संपूर्णतः 52% का घटाव हुआ है।

3. इसके चलते, दिनांक 1 मार्च 2007 से इस योजना के पंजीकृत उपभोक्ताओं को प्रत्येक 60 पैसे के मूल्य पर लेबलों की बिक्री करने का निर्णय लिया गया है। सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को इसके द्वारा यह निर्देश दिया जाता है कि यह जानकारी इस योजना के पंजीकृत उपभोक्ताओं को व्यक्तिगत रुप से प्रसारित करें। संयुक्त निदेशक से अनुरोध है कि इस गतिविधि को मॉनिटर करें और दिनांक 28 फरवरी 2007 तक या इससे पहले अधोहस्ताक्षरी को अनुपालन रिपोर्ट भेजें।

आर.आर. गोराखिया
निदेशक (टीक्यूएम)